इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3]　　　　भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 जनवरी 2013—पौष 28, शक 1934

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

पंचम् तल, बिट्टन मार्केट, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2013

क्र. 151-मप्रविनिआ—2013.—विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 181 सहपठित धारा 45 (3) (बी) तथा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य में विद्युत् प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत् लाईन प्रदाय करने तथा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली हेतु दिनांक 7 सितम्बर, 2009 को अधिसूचित मध्यप्रदेश नियामक आयोग (विद्युत् प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत् लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य

प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण-1) 2009 में निम्न संशोधन करता है :—

"मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (विद्युत् प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत् लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 में चतुर्थ संशोधन"

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ.**—(i) "मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (विद्युत् प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत् लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 में (चतुर्थ संशोधन) [एआरजी—31 (1) (iv), वर्ष 2013]" कहलायेंगे.

(ii) इन विनियमों का विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा.

(iii) ये विनियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" में अधिसूचित किये जाने की तिथि से प्रभावशील होंगे.

2. **विनियम में संशोधन.—"मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (विद्युत् प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत् लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009"** में विनियम 4.2.6 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"4.2.6 कृषकों के सिंचाई पंप सेट्स हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत् प्रदाय व्यवस्था, प्राप्त मांग-पत्र पर दक्ष वितरण प्रणाली के संचालन हेतु निम्न दाब तन्तुपथ प्रदान किये जाने संबंधी लागत में, वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र की लागत तथा सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाईन) को जोड़कर उनकी वसूली उपरांत की जाएगी. वैकल्पिक तौर पर, आवेदक, यदि इच्छुक हो, तो उसे कार्य की प्राक्कलित लागत के 3 प्रतिशत की दर से परिवेक्षण प्रभारों के रूप में भुगतान करने के लिये अनुमति दी जाएगी, तथा ऐसे परिवेक्षण प्रभारों के भुगतान करने पर, आवेदक एक अनुमोदित अनुज्ञप्ति-प्राप्त ठेकेदार के माध्यम से वितरण अनुज्ञप्तिधारी के परिवेक्षण में कार्य संपादन करा सकेगा".

आयोग के आदेशानुसार,
पी. के. चतुर्वेदी, आयोग सचिव.

Bhopal, the 15th January 2013

No. 151-MPERC-2013.—In exercise of powers conferred under Section 181 read with Sections 45 (3) (b) and 46 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendment in MPERC (Recovery of expenses and other charges for providing electric line or plant used for the purpose of giving supply) (Revision-I) Regulations, 2009 which was notified on 7th September 2009 in Madhya Pradesh Gazette.

FOURTH AMENDMENT TO MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (RECOVERY OF EXPENSES AND OTHER CHARGES FOR PROVIDING ELECTRIC LINE OR PLANT USED FOR THE PURPOSE OF GIVING SUPPLY) (REVISION-I) REGULATIONS, 2009

1. **Short Title and Commencement.**—(i) These Regulations may be called the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of expenses and other charges for providing electric line or plant used for the purpose of giving supply) (Revision-I) Regulations, 2009 (Fourth Amendment) [ARG-31(I)(iv) of 2013].

(ii) These Regulations shall come into force on the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

(iii) These Regulations shall extend to the entire State of Madhya Pradesh.

2. **Amendment to Regulations.**—In the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of expenses and other charges for providing electric line or plant used for the purpose of giving supply) (Revision-I) Regulations, 2009, the following shall be substituted under Regulation 4.2.6 namely :—

"4.2.6 The power supply to irrigation pump sets for agriculturists shall be arranged by the distribution licensee on a requisition after realizing the cost for providing the LT line including cost of distribution transformer sub-station and service line necessary for efficient distribution. Alternatively, the applicant, if he so desires, shall be permitted to deposit supervision charges @ 3% of the estimated cost of above work and on depositing such supervision chrages, the work may be got executed by the applicant through 'A' class contractor under the supervision of the distribution licensee".

By order of the Commission,
P. K. CHATURVEDI, Commission Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.